

कार्यालय-जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, कुशीनगर।

पत्रांक-एस0एस0ए0/के0जी0बी0वी0/नियुक्ति/5872-80/2026-27 दिनांक 03-06-26

विज्ञापित

महानिदेशक, स्कूल शिक्षा एवं राज्य परियोजना निदेशक, रामग्र शिक्षा, उ०प्र०, लखनऊ के पत्र संख्या के०जी०बी०वी०/11308/2022-23 दिनांक:14-02-2023 एवं शासनादेश संख्या 1553/68-5-2020 बेसिक शिक्षा अनुभाग-5, लखनऊ, दिनांक 11 दिसम्बर 2020, शासनादेश संख्या-1/570148/2024 File No-68-5099/23/2024-5() दिनांक 28-05-2024 व संशोधित शासनादेश संख्या-68-5099/23/2024-5-अनुभाग-5 बेसिक शिक्षा-(बेसिक शिक्षा विभाग) 1/775757/2024 दिनांक 21-10-2024 के द्वारा प्रदत्त निर्देश के क्रम में जिलाधिकारी/अध्यक्ष चयन समिति महोदय के अनुमतिपरान्त जनपद कुशीनगर में संघालित 14 कस्तूरबा गौधी आवासीय बालिका विद्यालयों (कक्षा 6-12) में शिक्षिकाओं, कर्मियों के रिक्त पदों पर नियुक्ति/चयन (सविदा आधारित) हेतु वर्णित महिला अर्हताधारी अभ्यर्थियों से शैक्षिक सत्र 2026-27 में कार्य करने हेतु निर्धारित प्रारूप पर दिनांक 20 जून, 2026 को सायं 5:00 बजे तक कार्यालय-जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, रविन्द्रनगर धूस, पडरौना, जनपद-कुशीनगर, 274304 में निर्धारित शर्तों के अधीन पंजीकृत डाक के माध्यम से आवेदन पत्र आमन्त्रित किये जाते हैं। उक्त आवेदन पंजीकृत डाक के अतिरिक्त किसी अन्य माध्यम से स्वीकार नहीं किये जायेंगे। रिक्त पदों का विस्तृत विवरण, शैक्षिक योग्यता एवं अर्हता, आवेदन पत्र का प्रारूप तथा अन्य दिशा-निर्देश <http://kushinagar.nic.in> पर उपलब्ध हैं। रिक्त पदों का विवरण निम्नवत् है-

क्र० सं०	पद नाम	रिक्त पदों की आरक्षित श्रेणी				कुल रिक्त पद	प्रति माह मानदेय (रु०)	दिनांक 01.04.2026 को आयु (वर्षों में)
		अनारक्षित	E.W.S.	अन्य पिछड़ा वर्ग	अनु० जाति			
1	पूर्णकालिक शिक्षिका (गणित)	1	1	0	0	2	25410	25-45 वर्ष
2	पूर्णकालिक शिक्षिका (सामाजिक विषय)	1	0	0	0	1	25410	25-45 वर्ष
3	पी०जी०टी० (रसायन विज्ञान)	1	0	0	0	1	22000	25-45 वर्ष
4	पी०जी०टी० (भौतिक विज्ञान)	0	0	1	0	1	22000	25-45 वर्ष
5	अंशकालिक शिक्षिका (कम्प्यूटर)	0	1	0	2	3	12790	25-45 वर्ष
6	अंशकालिक शिक्षिका (कला, क्राफ्ट एवं संगीत/गृह शिल्प)	2	0	0	1	3	12790	25-45 वर्ष
7	लैब असिस्टेन्ट	1	1	0	1	3	7147	25-45 वर्ष
8	कार्यालय अधीक्षक/लिपिक	1	0	1	1	3	12430	25-45 वर्ष
9	सहायक रसोईया (कक्षा 6-8)	1	0	0	1	2	6755	25-45 वर्ष
10	चपरासी (कक्षा 6-8)	2	0	0	0	2	7505	25-45 वर्ष
11	सहायक रसोईया (कक्षा 9-12)	2	2	2	1	7	6755	25-45 वर्ष
12	चौकीदार (कक्षा 9-12)	1	0	0	0	1	7505	25-45 वर्ष
कुल रिक्त पद		13	5	4	7	29		

नियम एवं शर्तें:-

1. रिक्त पदों की संख्या घट-बढ़ सकती है।
2. समस्त पदों पर केवल महिला अभ्यर्थी का ही चयन किया जायेगा।
3. आवेदन पत्र के लिफाफे के ऊपर पद, आरक्षण एवं विषय का नाम स्पष्ट रूप से अंकित होना अनिवार्य है।
4. दिनांक 01-04-2026 को न्यूनतम आयु 25 वर्ष तथा अधिकतम आयु 45 वर्ष से अधिक न हो।
5. राज्य सरकार द्वारा निर्धारित प्रावधान के अनुसार आरक्षण जनपद स्तर पर देय होगा।
6. पूरित आवेदन पत्र समस्त वांछित प्रमाण पत्र/अंक पत्र की स्वप्रमाणित छाया प्रति सहित पंजीकृत डाक से कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, रविन्द्रनगर धूस, कुशीनगर में दिनांक 20-06-2026 की सायं 05:00 बजे तक ही स्वीकार किये जायेंगे। निर्धारित तिथि एवं समय के पश्चात् प्राप्त आवेदन पत्र मान्य नहीं होंगे।
7. आवेदक आवेदन पत्र के साथ 02 लिफाफे, जिस पर 55-55 रुपये के डाक टिकट लगे हुये हो तथा जिस पर अभ्यर्थी का नाम, पता, मोबाईल नम्बर व पिन कोड स्पष्ट लिखा हो, संलग्न करना अनिवार्य होगा।


Sally


AI

उपरोक्त विज्ञप्ति को किसी भी समय निरस्त करने का अधिकार समिति को होगा, जिस पर कोई भी दावा स्वीकार नहीं होगा। उक्त विज्ञप्ति लिपिकीय त्रुटि सधान के अधीन होगी।

9. अपूर्ण/हस्ताक्षर रहित/साधारण डाक से प्राप्त/कटिंग/ओवरराइटिंग/निर्धारित प्रारूप से इतर एवं वांछित प्रमाण पत्र संलग्न न होने आदि की दशा में आवेदन पत्र निरस्त कर दिया जायेगा, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व सम्बन्धित आवेदक का होगा।
10. चयन के सम्बन्ध में जिला स्तरीय चयन समिति का निर्णय स्वीकार होगा।
11. किसी भी सेवा में बर्खास्त, नैतिक/चारित्रिक अक्षमता के अपराध के लिये दोष सिद्ध एवं दिवालिया व्यक्ति चयन के लिये अर्ह नहीं होंगे।
12. चयनित अभ्यर्थियों के शैक्षिक योग्यता सम्बन्धी प्रमाण पत्रों का सत्यापन अनिवार्यतः कराया जायेगा। चयन के पूर्व या पश्चात् किसी भी प्रमाण पत्र/कागजात के फर्जी/कूटरचित पाये जाने की दशा में सम्बन्धित आवेदक के विरुद्ध विधिक नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।
13. शिक्षण एवं शिक्षणेत्तर सभी कर्मचारी 11 माह 29 दिन के अनुबन्ध पर रखे जायेंगे, यह अनुबन्ध कार्य का होगा। कार्मिकों के कार्य एवं व्यवहार का वार्षिक मूल्यांकन किया जायेगा एवं संतोषजनक पाये जाने पर ही व जिलाधिकारी महोदय के अनुमोदनोपरान्त संविदा का नवीनीकरण किया जायेगा।
14. उल्लिखित मानदेय में नियुक्ता का 13 प्रतिशत ई0पी0एफ0 अंशदान सम्मिलित है।
15. उपरोक्त चयन प्रक्रिया विशेष अनुज्ञा याचिका संख्या 13553/2022/स्टेट प्रोजेक्ट डायरेक्टर बनाम सरोज मीर्य एवं अन्य में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित अन्तिम आदेश के अधीन होगी।
16. तैनाती से पूर्व मुख्य चिकित्साधिकारी से निर्गत फिजिकल फिटनेस प्रमाण पत्र उपलब्ध कराना होगा।
17. उत्तर प्रदेश शासन के शासनादेश कार्मिक अनुभाग-2 संख्या-5/2019/4/1/2002/का-2/2019 टी.सी.1 लखनऊ, दिनांक: 23 अक्टूबर, 2019 के अनुसार "यदि आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए चिन्हांकित पदों की रिक्तियों के सापेक्ष उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होते हैं, तो उक्त रिक्तियों को आगामी चयन वर्ष में बैकलॉग के रूप में अग्रेनीत नहीं किया जायेगा और उक्त रिक्ति को अनारक्षित वर्ग के अर्ह अभ्यर्थियों द्वारा भरा जायेगा।"
18. के०जी०बी०वी० में कार्यरत रहे कर्मियों को राज्य परियोजना कार्यालय के दिशानिर्देशानुसार/नियमानुसार अनुभव पर चयन में भारांक देय होगा।

संलग्नक-उक्तवत्।



(पंकज कुमार गौतम)
जिला समन्वयक (बा०शि०)
कुशीनगर।


(अनिल कुमार सिंह)
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
कुशीनगर।

पृ०सं०/एस०एस०ए०/के०जी०बी०वी०/नियुक्ति/5872-80/2026-27 तददिनांकित।


प्रतिलिपि:निम्नलिखित को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

01. राज्य परियोजना निदेशक, समग्र शिक्षा, लखनऊ।
02. जिलाधिकारी महोदय, कुशीनगर।
03. मुख्य विकास अधिकारी महोदय, कुशीनगर।
04. समस्त उपजिलाधिकारी, कुशीनगर।
05. सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक), सप्तम मंडल, गोरखपुर।
06. प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, कुशीनगर।
07. जिला सूचना एवं विज्ञान अधिकारी, कुशीनगर को इस आशय से प्रेषित कि उक्त विज्ञप्ति को N.I.C. के वेबसाईट पर अपलोड करने का कष्ट करें।
08. समस्त खण्ड विकास अधिकारी, कुशीनगर।
09. समस्त खण्ड शिक्षा अधिकारी, कुशीनगर को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त विज्ञप्ति को अपने कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चरसा कराना सुनिश्चित करें।


जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,
कुशीनगर।

**जनपद-कुशीनगर के कस्तूरबा गाँधी आवासीय बालिका विद्यालयों में (संविदा आधारित)
रिक्त पदों पर चयन हेतु आवेदन पत्र, सत्र 2026-27**

1. आवेदित पद का नाम एवं विषय.....
2. अभ्यर्थी का नाम-(हिन्दी में).....
3. अभ्यर्थी का नाम-(अंग्रेजों में के बड़े अक्षरों में).....
4. जन्म तिथि..... (01.04.2026) को आयु..... वर्ष..... माह..... दिन
जन्म तिथि (शब्दों में).....
5. पिता/पति का नाम.....
6. आरक्षित श्रेणी.....
(सामान्य/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग/अन्य पिछड़ा जाति/अनु०जाति/अनु०जन० जाति)
7. पत्राचार का पता.....
जनपद..... पिन कोड..... दूरभाष.....
8. स्थायी पता.....
जनपद..... पिन कोड..... दूरभाष.....
9. आधार कार्ड सं०.....
10. शैक्षिक योग्यता.....



क्र० सं०	परीक्षा का नाम	विद्यालय/बोर्ड/वि०वि० का नाम	उत्तीर्ण वर्ष	विषय	पूर्णांक	प्राप्तांक	प्रतिशत
1	कक्षा-8						
2	हाईस्कूल						
3	इण्टरमीडिएट						
4	स्नातक						
5	परास्नातक						
6	बी०एड०						
7	यूपी० टेट/सी०टेट						
8	अन्य योग्यता						

11. अनुभव यदि कोई हो तो प्रमाण पत्र संलग्न करें तथा विवरण दें।

घोषणा

मैं..... पुत्री/पत्नी..... यह घोषणा करती हूँ कि मेरे आवेदन पत्र में उक्तवत् दिये गये विवरण मेरी जानकारी एवं विश्वास के अनुसार पूर्णतया सत्य है तथा इसमें किसी भी प्रकार का तथ्य गोपन नहीं किया गया है। चयन के पश्चात् जॉचोपरान्त कोई भी तथ्य/संलग्न प्रमाण पत्र फर्जी/कूटरचित पाये जाने पर मेरा अभ्यर्थन/चयन निरस्त कर नियमानुसार कार्यवाही किया जाय, जिस पर मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी। चयनोपरान्त मैं, विभाग द्वारा निर्धारित नियम, शर्तों एवं निर्देशों का पालन करूंगी।

संलग्नक-अंक पत्र व प्रमाण पत्रों की कुल संख्या

अभ्यर्थी का नाम सहित पूर्ण हस्ताक्षर दिनांक.....

क्र० सं०	पद नाम	रिक्त पदों की आरक्षित श्रेणी					कुल रिक्त पद	प्रति माह मानदेय (₹०)	दिनांक को आयु (वर्षों में)	शैक्षिक योग्यता
		आरक्षित	E.W.S.	अन्य पिछड़ा वर्ग	अनुभूति	जाति				
1	पूर्वांकालिक शिक्षिका (गणित)	1	1	0	0	2	25410	25-45 वर्ष	पी०सी०एम० वर्ग से प्रशिक्षित स्नातक एवं उच्च प्राथमिक स्तर की टी०ई०टी०, उत्तीर्ण अनिवार्य। भूगोल, इतिहास एवं नागरिक शास्त्र में से किसी एक विषय से प्रशिक्षित स्नातक एवं उच्च प्राथमिक स्तर की टी०ई०टी० उत्तीर्ण होना अनिवार्य।	
2	पूर्वांकालिक शिक्षिका (सामाजिक विषय)	1	0	0	0	1	25410	25-45 वर्ष	01. रसायन विज्ञान में एम०एससी० अथवा 02. रसायन विज्ञान में त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम के साथ बी०एस०सी० (आनर्स) अथवा 03. यू०जी०सी० द्वारा मान्यता प्राप्त किसी विश्वविद्यालय / डिग्री कालेज से स्नातकोत्तर (बायोकेमिस्ट्री) अथवा 04. किसी विश्वविद्यालय / डिग्री कालेज से शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा आयोजित रसायन विज्ञान में स्नातकोत्तर डिप्लोमा के साथ बी०एस०सी०	
3	पी०जी०टी० (रसायन विज्ञान)	1	0	0	0	1	22000	25-45 वर्ष	01. एम०एससी० (भौतिक शास्त्र) अथवा 02. किसी विश्वविद्यालय / डिग्री कालेज से शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा आयोजित भौतिक विज्ञान में स्नातकोत्तर डिप्लोमा के साथ बी०एस०सी०	
4	पी०जी०टी० (भौतिक विज्ञान)	0	0	1	0	1	22000	25-45 वर्ष	कम्प्यूटर शिक्षक/शिक्षिका के लिए प्रशिक्षित स्नातक होना अनिवार्य है। प्रशिक्षण उपाधि के अन्तर्गत एन०सी०टी०ई० से मान्य बी०एड०/समकक्ष एल०टी० इत्यादि प्रशिक्षित सम्मिलित है। इसके अतिरिक्त कम्प्यूटर शिक्षण हेतु पी०जी०टी०सी०ए०/बी०सी०ए०/बी०एस०सी० कम्प्यूटर साइंस अथवा स्नातक सहित डी०आर्०ई०ए०पी०सी० या	
5	अध्यात्मिक शिक्षिका (कम्प्यूटर)	0	1	0	2	3	12790	25-45 वर्ष		

9	सहायक रसोईया (कक्षा 6-8)	1	0	0	1	2	6755	25-45 वर्ष	कक्षा 8 पास उत्तीर्ण तथा अन्यर्था को शारीरिक अक्षमता एवं संक्रामक रोग से ग्रस्त नहीं होना चाहिए
10	चापरासी (कक्षा 6-8)	2	0	0	0	2	7505	25-45 वर्ष	
11	सहायक रसोईया (कक्षा 9-12)	2	2	2	1	7	6755	25-45 वर्ष	
12	चौकीदार (कक्षा 9-12)	1	0	0	0	1	7505	25-45 वर्ष	पूर्णकालिक हागा विद्यालय में रात्रि निवास अनिवार्य होगा)
कुल रिक्त पद		13	5	4	7	29			

RojgarResult.com

प्रेषक

रेणुका कुमार,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
अध्यक्ष जिला शिक्षा परियोजना समिति,
समस्त जनपद, उ०प्र० (कानपुर नगर एवं औरैया को छोड़कर)।

बेसिक शिक्षा अनुभाग-5

लखनऊ: दिनांक: // दिसम्बर, 2020

विषय- कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में शैक्षिक व शिक्षणेत्तर कर्मियों के नवीन चयन/पदस्थापन/संविदा के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में विद्यमान विसंगतियों के निराकरण सम्बन्धी शासनादेश संख्या-625/68-5-2020, दिनांक 30.06.2020 एवं तत्कम में राज्य परियोजना कार्यालय द्वारा निर्गत पत्र संख्या-क०जी०बी०वी०/2302/2020-21, दिनांक 14.07.2020 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में कार्यरत शिक्षक/शिक्षिकाओं के मूल अभिलेखों का नियुक्ति के समय प्रस्तुत किये गये अभिलेखों से मिलान कर मुख्य विकास अधिकारी की अध्यक्षता में एक समिति का गठन करते हुए नवीन संविदा किये जाने के निर्देश दिये गये हैं। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों के कार्मिकों की नवीन संविदा की कार्यवाही उपर्युक्त निर्देशों के अनुसार जनपदों में गतिमान है।

2- वर्तमान में प्रदेश में (कक्षा 6 से 8 तक) संचालित कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में वार्डन, पूर्णकालिक शिक्षिका एवं अंशकालिक शिक्षक/ शिक्षिका के लगभग 1000 से अधिक पद रिक्त हैं। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में शैक्षिक एवं शिक्षणेत्तर कर्मियों के चयन हेतु पूर्व में निर्गत समस्त निर्गत आदेशों को अवक्रमित करते हुए वर्ष 2020-21 में विद्यालयों का संचालन तथा शैक्षिक एवं शिक्षणेत्तर कर्मियों का नवीन चयन/पदस्थापन/संविदा के सम्बन्ध में निम्नवत् दिशा-निर्देश प्रदान किये जाते हैं :-

(1) जनपदीय चयन समिति :

कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालयों में शैक्षिक एवं शिक्षणेत्तर कर्मियों के चयन की कार्यवाही मुख्य विकास अधिकारी की अध्यक्षता में निम्नलिखित जनपदीय समिति द्वारा सम्पादित की जायेगी:-

क्र०सं०	समिति	धारित पद
1.	मुख्य विकास अधिकारी (सम्बन्धित जनपद)	अध्यक्ष
2.	प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (सम्बन्धित जनपद)	सदस्य
3.	जिला विद्यालय निरीक्षक (सम्बन्धित जनपद)	सदस्य
4.	जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी (सम्बन्धित जनपद)	सदस्य सचिव
5.	जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा नामित राजकीय बालिका इण्टर/राजकीय इण्टर कालेज/सहायता प्राप्त इण्टर	सदस्य

6.	कालेज के मनोविज्ञान की शिक्षक/शिक्षिका जिलाधिकारी/अध्यक्ष जिला शिक्षा एवं परियोजना समिति द्वारा नामित एक अधिकारी	सदस्य
----	--	-------

अग्रेतर यह उल्लेखनीय है कि उक्त समिति द्वारा की गयी चयन की कार्यवाही पर जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला शिक्षा परियोजना समिति का अनुमोदन प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा।

(2) पदों का विवरण :

मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के पत्रांक F.No1-1/2020-IS-6 दिनांक 25 अगस्त 2020 द्वारा वर्ष 2020-21 हेतु कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में शैक्षिक एवं शिक्षणेत्तर कर्मियों के स्वीकृत पदों का विवरण निम्नवत् है :-

क्र० सं०	स्वीकृत पद का नाम	पदों की संख्या	
		मॉडल-1 (100 बालिकाओं हेतु)	मॉडल-II (50 बालिकाओं हेतु)
1	वार्डन कम शिक्षिका	1	1
2	पूर्ण कालिक शिक्षिका	4	3
3	उर्दू शिक्षक/शिक्षिका	1	- *
4	अंश कालिक शिक्षक/शिक्षिका	3	3
5	पूर्णकालिक लेखाकार	1	1
6	मुख्य रसोईया	1	1
7	सहायक रसोईया	2	1
8	चपरासी	1	1
9	चौकीदार	1	1
	कुल योग	15	12

*मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के पत्रांक F.No1-1/2020-IS-6 दिनांक 25 अगस्त 2020 द्वारा मॉडल-I के लिए 347 विद्यालयों हेतु एवं मॉडल-II में केवल जनपद मुजफ्फरनगर के 04 के0जी0बी0बी (घरथावल, जानसठ, मोरना एवं पुरकाजी) में उर्दू भाषा के शिक्षण हेतु 01 उर्दू शिक्षक/शिक्षिका का चयन स्वीकृत विद्यालयों में किया जाये, "प्रतिबन्ध" यह है कि जिन विकास खण्डों में 20 प्रतिशत से अधिक मुस्लिम आबादी हो, उन्ही के0जी0बी0वी0 में उर्दू शिक्षक/शिक्षिका का नवीन चयन किया जाये।

उपरोक्त पदों के सापेक्ष नवीन चयन मॉडल-I के कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में विषयवार व्यवस्था निम्नवत् की जायेगी :-

विषय	पद	मॉडल-I हेतु पदों की संख्या		
		पूर्णकालिक	उर्दू	अंशकालिक
गणित (पी0सी0एम0 वर्ग से प्रशिक्षित स्नातक एवं उच्च प्राथमिक स्तर की टी0ई0टी0)	पूर्णकालिक	01	-	-
विज्ञान (जेड0बी0सी0 वर्ग से प्रशिक्षित स्नातक एवं उच्च प्राथमिक स्तर की टी0ई0टी0)	पूर्णकालिक	01	-	-
भाषा (हिन्दी एवं संस्कृत से स्नातक एवं उच्च प्राथमिक स्तर की टी0ई0टी0)	पूर्णकालिक	01	-	-
सामाजिक विषय (भूगोल, इतिहास एवं नागरिक शास्त्र में से किसी एक विषय से)	पूर्णकालिक	01	-	-

प्रशिक्षित स्नातक एवं उच्च प्राथमिक स्तर की टी0ई0टी0)				
अंग्रेजी (अंग्रेजी से स्नातक एवं उच्च प्राथमिक स्तर की टी0ई0टी0)	पूर्णकालिक	01	-	-
उर्दू - बी0ए0 उर्दू विषय से तथा एल0टी0 या बी0टी0 या बी0एड0 या अन्य समकक्ष शिक्षा अथवा शिक्षण में डिग्री या डिप्लोमा	उर्दू	-	01	-
कम्प्यूटर प्रशिक्षित स्नातक	अंशकालिक	-	-	01
स्काउट गाइड एवं शारीरिक शिक्षा- बी0पी0एड0 सी0पी0एड एवं डी0पी0एड0 आदि उपाधि	अंशकालिक	-	-	01
कला काफ्ट एवं संगीत/गृह शिल्प	अंशकालिक	-	-	01
कुल पद		05	01	03

उपरोक्त पदों के सापेक्ष नवीन चयन मॉडल-II के कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में विषयवार व्यवस्था निम्नवत् की जायेगी :-

विषय	पद	मॉडल-II हेतु पदों की संख्या		
		पूर्णकालिक	उर्दू	अंशकालिक
गणित (पी0सी0एम0 वर्ग से प्रशिक्षित स्नातक एवं उच्च प्राथमिक स्तर की टी0ई0टी0)	पूर्णकालिक	01	-	-
विज्ञान (जेड0बी0सी0 वर्ग से प्रशिक्षित स्नातक एवं उच्च प्राथमिक स्तर की टी0ई0टी0)	पूर्णकालिक	01	-	-
भाषा (हिन्दी-संस्कृत एवं अंग्रेजी में से न्यूनतम एक वर्ग में प्रशिक्षित स्नातक एवं उच्च प्राथमिक स्तर की टी0ई0टी0)	पूर्णकालिक	01	-	-
सामाजिक विषय (भूगोल, इतिहास एवं नागरिक शास्त्र में से किसी एक विषय से प्रशिक्षित स्नातक एवं उच्च प्राथमिक स्तर की टी0ई0टी0)	पूर्णकालिक	01	-	-
उर्दू - बी0ए0 उर्दू विषय से तथा एल0टी0 या बी0टी0 या बी0एड0 या अन्य समकक्ष शिक्षा अथवा शिक्षण में डिग्री या डिप्लोमा	उर्दू	-	01	-
कम्प्यूटर प्रशिक्षित स्नातक	अंशकालिक	-	-	01
स्काउट गाइड एवं शारीरिक शिक्षा- बी0पी0एड0 सी0पी0एड एवं डी0पी0एड0 आदि उपाधि	अंशकालिक	-	-	01
कला काफ्ट एवं संगीत/गृह शिल्प	अंशकालिक	-	-	01
कुल पद		04	01	03

उल्लेखनीय है कि वार्डन कम शिक्षिका के रिक्त पद पर नवीन चयन नहीं किया जायेगा। उक्त के स्थान पर रिक्त विषय के सापेक्ष पूर्णकालिक शिक्षिका मानदेय रू0 22000/- पर चयन किया जाये तथा सम्बन्धित के0जी0बी0वी0 में वरिष्ठतम पूर्णकालिक शिक्षिका (अनुभव के आधार पर) द्वारा सम्बन्धित के0जी0बी0वी0 में वार्डन के कार्य एवं दायित्वों का सम्पादन किया जायेगा।

- कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालय (कक्षा 6 से 8 तक) का पाठ्यक्रम बेसिक शिक्षा परिषद उ0प्र0 द्वारा संचालित उच्च प्राथमिक विद्यालयों के समरूप है। निःशुल्क और

अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 19 एवं 25 में वर्णित मान एवं मानकों की अनुरूपी के अनुसार शिक्षक/शिक्षिका का चयन किया जाये।

- नवीन चयन में यह सुनिश्चित किया जाये कि पूर्णकालिक शिक्षिका का चयन मुख्य विषयों के लिए यथा गणित, विज्ञान, सामाजिक विषय, अंग्रेजी एवं भाषा (हिन्दी एवं संस्कृत हेतु 01 शिक्षिका) तथा अंशकालिक शिक्षक/शिक्षिका का चयन पाठ्य सहगामी विषयों यथा कम्प्यूटर, स्काउट गाइड एवं शारीरिक शिक्षा तथा कला, काफ़्ट एवं संगीत के लिए किया जाए।
- नवीन चयन में यह सुनिश्चित किया जाये कि विषयवार निर्धारित अर्हता के सापेक्ष ही अभ्यर्थी का चयन/पदस्थापन किया जाये। उक्त से विचलन किसी भी दशा में न किया जाये। चयन समिति अनुमन्य पदों पर चयन के समय विषयों की निर्धारित अर्हता ध्यान रखेगी।
- मॉडल-I एवं मॉडल-II में उर्दू भाषा के शिक्षण हेतु 01 उर्दू शिक्षक /शिक्षिका का चयन केवल भारत सरकार द्वारा स्वीकृत विद्यालयों में किया जाये, "प्रतिबन्ध" यह है कि जिन विकास खण्डों में 20 प्रतिशत से अधिक मुस्लिम आबादी हो, उन्ही के 0जी0बी0वी0 में उर्दू शिक्षक /शिक्षिका का नवीन चयन किया जाये।

(3) अर्हता :-

- पूर्णकालिक शिक्षिकाओं के पदों के लिए निर्धारित योग्यता उच्च प्राथमिक स्तर की टी0ई0टी0 एवं प्रशिक्षित स्नातक होगी। प्रशिक्षण उपाधि के अन्तर्गत एन0सी0टी0ई0 से मान्य बी0एड0/समकक्ष एल0टी0 इत्यादि प्रशिक्षण को सम्मिलित किया जायेगा।
- अग्रेतर उल्लेखनीय है कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों के ऐसे शिक्षक/शिक्षिका जो शैक्षिक वर्ष 2020-21 में नवीन संविदा से वंचित हो रहे हैं, उन शिक्षकों द्वारा कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में रिक्तियों के सापेक्ष होने वाले नवीन चयन में प्रदेश के किसी भी जनपद में आवेदन करने पर, उन्हें चयन हेतु शैक्षिक अर्हता में शासनादेश संख्या के 0जी0बी0वी0/3-2/1916/2013-14 दिनांक 29-07-2013 के पूर्व कार्यरत शिक्षकों के लिए टी0ई0टी0 की अर्हता अनिवार्य नहीं होगी।
- उर्दू शिक्षक/शिक्षिका हेतु निर्धारित योग्यता बी0ए0 उर्दू विषय से तथा एल0टी0 या बी0टी0 या बी0एड0 या अन्य समकक्ष शिक्षा अथवा शिक्षण में डिग्री या डिप्लोमा होगी।
- कम्प्यूटर शिक्षक/शिक्षिका के लिए प्रशिक्षित स्नातक होना अनिवार्य है। प्रशिक्षण उपाधि के अन्तर्गत एन0सी0टी0ई0 से मान्य बी0एड0/समकक्ष एल0टी0 इत्यादि प्रशिक्षित सम्मिलित है। इसके अतिरिक्त कम्प्यूटर शिक्षण हेतु पी0जी0डी0 सी0ए0/बी0सी0ए0/बी0एस0सी0 कम्प्यूटर साइंस अथवा स्नातक सहित डी0ओ0ई0ए0सी0सी0 या समकक्ष संस्था से "ओ लेवल"/ए लेवल डिप्लोमा आदि शैक्षिक योग्यता भी वांछित होगी।
- कला, काफ़्ट एवं संगीत आदि विषयों के लिए शैक्षिक योग्यता स्नातक उपाधि सहित प्रशिक्षण उपाधि होगी तथा गृह शिल्प के शिक्षक/शिक्षिका का पद कला, काफ़्ट एवं संगीत के पद के अन्तर्गत ही माना जायेगा।
- बी0पी0एड0, सी0पी0एड0 तथा डी0पी0एड0 आदि उपाधियां केवल शारीरिक शिक्षा के अध्यापन हेतु मान्य होंगी किन्तु शारीरिक शिक्षा पद पर चयन हेतु बी0पी0एड0, सी0पी0एड0 तथा डी0पी0एड0 अभ्यर्थियों हेतु टी0ई0टी0 अनिवार्य नहीं होगी।

- पूर्णकालिक शिक्षिका, लेखाकार, रसोइया एवं सहायक रसोइया के पद पर महिला अभ्यर्थियों का ही नवीन चयन किया जायेगा।
- लेखाकार के लिए शैक्षिक योग्यता स्नातक वाणिज्य होगी तथा एम0एस0ऑफिस पर कार्य का ज्ञान अनिवार्य होगा। डी0ओ0ई0ए0सी0सी0 या समकक्ष संस्था से कम्प्यूटर शिक्षा में 'ओ' लेवल डिप्लोमा अथवा समकक्ष अन्य योग्यता की दशा में अभ्यर्थी को चयन में वरीयता दी जायेगी।
- मुख्य रसोइया/सहायक रसोइया/चपरासी/चौकीदार हेतु शैक्षिक योग्यता कक्षा 8 उत्तीर्ण होगी तथा अभ्यर्थी को शारीरिक अक्षमता एवं संक्रामक रोग से ग्रस्त नहीं होना चाहिए। मुख्य रसोइया एवं सहायक रसोइया का पद पूर्णकालिक है। इनके लिए महिला होना तथा विद्यालय में निवास करना अनिवार्य है।

(4) आयु :

- समस्त स्टाफ की न्यूनतम आयु चयन वर्ष की 01 अप्रैल को 25 वर्ष होगी।
- समस्त स्टाफ की अधिकतम आयु चयन वर्ष की 01 अप्रैल को 45 वर्ष से अधिक न हो।
- कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों के ऐसे शिक्षक/शिक्षिका जो निर्धारित अर्हता रखते हों, किन्तु शैक्षिक वर्ष 2020-21 में नवीन संविदा से वंचित हो जा रहे हैं, उन शिक्षकों द्वारा कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालयों में रिक्तियों के सापेक्ष होने वाले नवीन चयन में प्रदेश के किसी भी जनपद में आवेदन करने पर, उन्हें चयन हेतु आयु सीमा में कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में कार्यरत रहने की अवधि के समतुल्य छूट प्रदान की जाये, किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि सम्बन्धित शिक्षक/शिक्षिका की आयु 60 वर्ष से अधिक न हो।
- कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में सेवा हेतु समस्त स्टाफ की अधिकतम आयु 60 वर्ष होगी।

(5) **आरक्षण** – राज्य सरकार के निर्धारित प्राविधानों के अनुसार आरक्षण देय होगा।

(6) **चरित्र** – किसी सेवा से बर्खास्त, नैतिक/चारित्रिक अक्षमता के अपराध के लिए दोष सिद्ध एवं दिवालिया व्यक्ति चयन के लिए अर्ह नहीं होंगे। चयन समिति अभ्यर्थी के चरित्र के सम्बन्ध में यथोचित समाधान करेगी।

(7) **चयन प्रक्रिया :-**

- कम से कम दो समाचार पत्रों में पदों का विज्ञापन किया जाय, जिसमें एक समाचार पत्र राष्ट्रीय स्तर तथा एक समाचार पत्र प्रदेश/जनपद स्तर पर पर्याप्त प्रचलन में हो, किया जाय। आवेदन हेतु 15 दिन का समय प्रदान किया जायेगा। विज्ञापन को जनपद की वेबसाइट पर भी प्रदर्शित किया जायेगा। चयन का विज्ञापन जनपद के जिलाधिकारी, मुख्य विकास अधिकारी, उपजिलाधिकारी, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, खण्ड विकास अधिकारी तथा खण्ड शिक्षा अधिकारी के कार्यालयों में अवश्य चस्पा किया जाये।
- कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों के ऐसे शिक्षक/शिक्षिका जो शैक्षिक सत्र 2020-21 में नवीन संविदा से वंचित हो रहे हैं, उनके द्वारा कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालयों में रिक्तियों के सापेक्ष होने वाले नवीन चयन में प्रदेश के किसी भी जनपद में आवेदन करने पर, उन्हें कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालयों में की गयी सेवा अवधि के प्रत्येक सम्पूर्ण शैक्षिक वर्ष के लिए 2 प्रतिशत अतिरिक्त

भारांक दिया जाये किन्तु अधिकतम भारांक 30 प्रतिशत से अधिक नहीं दिया जाएगा।

- शिक्षकों के चयन हेतु शिक्षकों का आमरण पदवार/विषयवार/तर्गवार/कक्षा स्तर पर किया जायेगा। तदनुसार आवेदन पत्र भर्गारत किये जायेंगे। कार्यवाय क्त चयन करने के लिए पदवार/विषयवार/तर्गवार पुणक पुणक श्रेणतत पुणी (मेरिट लिस्ट) बनायी जायेगी।
- शिक्षणेत्तर स्टाफ के चयन हेतु आवेदन आमंत्रण की प्रकिया शिक्षकों के लिए निर्धारित प्रकिया के समान होगी।
- करतूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में शैक्षिक स्टाफ यथा पूर्णकालिक शिक्षिका उर्दू शिक्षक/शिक्षिका, अशकालिक शिक्षक/शिक्षिका तथा लेखाकार के पद पर चयन सीधे मेरिट के आधार पर किया जायेगा। पूर्णकालिक शिक्षिका उर्दू शिक्षक/शिक्षिका, अशकालिक शिक्षक/शिक्षिका तथा लेखाकार के पद हेतु अभ्यर्थी के चयन के लिए भारांक के अंको का निर्धारण निम्न प्रकार किया जायेगा:-

क्र.सं.	परीक्षा/उपाधि का नाम	गुणवत्ता अंक
1	हाईस्कूल	परीक्षा में प्राप्तांक का प्रतिशत X 10/100
2	इण्टरमीडिएट	परीक्षा में प्राप्तांक का प्रतिशत X 10/100
3	स्नातक उपाधि	परीक्षा में प्राप्तांक का प्रतिशत X 20/100
4	प्रशिक्षण	परीक्षा में प्राप्तांक का प्रतिशत X 30/100
5	भारांक करतूरबा गांधी बालिका विद्यालय में शिक्षक के रूप में कार्यरत अनुभव	प्रत्येक पूणे अध्यापन वर्ष के लिए 2 अंक, अधिकतम 30 अंक तक, जो भी कम हो

नोट-

- (क) यदि दो या अधिक अभ्यर्थियों के गुणवत्ता अंक समान हो तो ऐसे अभ्यर्थी का नाम, जो आयु में ज्येष्ठ हो, सूची में उच्चतर स्थान पर रखा जायेगा।
- (ख) यदि दो या अधिक अभ्यर्थियों के गुणवत्ता अंक और आयु समान हो तो अभ्यर्थी का नाम, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के अनुसार सूची में रखा जायेगा।
- रसोईया, सहायक रसोईया, चपरासी एवं चौकीदार के पद पर शैक्षिक अभिलेखों के आधार पर चयन का औचित्य नहीं है। अतः उक्त पदों पर चयन साक्षात्कार द्वारा किया जायेगा।
- सत्यापन- शिक्षक/शिक्षणेत्तर स्टाफ की नवीन चयन के पश्चात सम्बन्धित कार्मिक द्वारा चयन के समय प्रस्तुत प्रमाण पत्रों का सम्बन्धित बोर्ड/परीक्षा संस्था से सत्यापन कराते हुए आधार एवं निवास प्रमाण पत्र का सत्यापन अनिवार्यतः कराया जाय। सत्यापनापरान्त सम्बन्धित के निम्नलिखित मूल अभिलेखों को जिला परियोजना कार्यालय में अनिवार्य रूप से सुरक्षित/संरक्षित किया जाये तथा सत्यापनापरान्त ही मानदेय का भुगतान किया जाये :-
 1. हाईस्कूल का अंकपत्र एवं प्रमाण पत्र।
 2. इण्टर मीडिएट का अंकपत्र एवं प्रमाण पत्र।
 3. स्नातक का अंकपत्र एवं प्रमाण पत्र।
 4. बी0एड0/बी0पी0एड0/सी0पी0एड0/डी0पी0एड0/अन्य प्रशिक्षण उपाधि/परीक्षा का अंकपत्र एवं प्रमाण पत्र।

5. टी0ई0टी0 उत्तीर्ण का अंक पत्र।

6. मूल निवास प्रमाण पत्र (जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा प्रमाणित)।

7. आधार कार्ड (जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा प्रमाणित)।

- कस्तूरबा गॉंधी बालिका विद्यालयों के स्टाफ के चयन की प्रक्रिया में काउन्सलिंग समिति में एक मनोवैज्ञानिक को विशेषज्ञ के रूप में सम्मिलित किया जाये ताकि अभ्यर्थियों की मनोदशा एवं दृष्टिकोण की परख भी की जा सके।
- रसोईया एवं सहायक रसोईया का पद पूर्णकालिक होगा तथा इनका साक्षात्कार 50 अंकों का होगा, जिसमें शारीरिक क्षमता हेतु 20 अंक, पाक विद्या के ज्ञान हेतु 20 अंक तथा अनुभव हेतु 10 अंक निर्धारित होंगे।
- चपरासी एवं चौकीदार का पद पूर्णकालिक होगा तथा इनके साक्षात्कार के लिए 50 अंक निर्धारित होंगे, जिसमें शारीरिक स्वास्थ्य हेतु 25 अंक तथा सामान्य ज्ञान हेतु 25 अंक निर्धारित होंगे।
- चयन समिति द्वारा प्रत्येक रिक्त पद के सापेक्ष 05 अभ्यर्थियों की प्रतीक्षा सूची तैयार की जायेगी, जिसे आवश्यकतानुसार प्रयोग किया जा सक। शैक्षिक एवं शिक्षणेत्तर पदों हेतु प्रतीक्षा सूची जिलाधिकारी द्वारा अनुमोदन प्रदान करने की तिथि से एक वर्ष तक मान्य होगी।
- शैक्षिक एवं शिक्षणेत्तर पदों पर चयनित अभ्यर्थियों की सूची (प्रतीक्षा सूची सहित) का जिलाधिकारी से अनुमोदन प्राप्त किया जायेगा। तत्पश्चात पद रिक्त होने की स्थिति में प्रतीक्षा सूची से जिलाधिकारी से अनुमोदन प्राप्त कर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी/सदस्य सचिव द्वारा विद्यालयों में शैक्षिक/शिक्षणेत्तर कार्मिकों का पदस्थापन किया जायेगा। चयनित अभ्यर्थियों की सूची तथा प्रतीक्षा सूची को जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर भी चस्पा किया जायेगा।
- उक्त समिति द्वारा कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में चयनित अभ्यर्थियों की पृथक-पृथक श्रेष्ठता सूची तैयार की जायेगी।
- कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में विषयवार रिक्त पदों की सूची नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित की जायेगी, जिसके सापेक्ष समस्त चयनित अभ्यर्थियों को विकल्प चयन का अवसर प्रदान किया जायेगा।
- सर्वप्रथम विकलांग महिला अभ्यर्थियों को उनके श्रेष्ठता क्रम के अनुसार काउन्सलिंग कराने हेतु चयन समिति के सम्मुख विद्यालय चयन का विकल्प प्राप्त करने का अवसर प्रदान किया जायेगा। चयन समिति द्वारा अभ्यर्थियों के सम्मुख नोटिस बोर्ड पर चस्पा विद्यालय की सूची के समरूप सूची रखी जायेगी। उक्त सूची में से अभ्यर्थी एक रिक्त विद्यालय के सम्मुख अपना नाम विषय एवं हस्ताक्षर अंकित करेगा। उक्त प्रक्रिया प्रत्येक अभ्यर्थी द्वारा पूर्ण की जायेगी।
- उक्त प्रक्रिया से काउन्सलिंग के माध्यम से प्रत्येक चयनित अभ्यर्थी से विकल्प प्राप्त किये जायेंगे। मेरिट के आधार पर विकल्प सूची से विद्यालय आवंटित किये जायेगे। चयनित अभ्यर्थी द्वारा विद्यालय का विकल्प नहीं देने की स्थिति में समिति द्वारा उक्त अभ्यर्थी का उपलब्ध विद्यालय में पदस्थापन की कार्यवाही की जायेगी।

- जनपदीय समिति के प्रस्ताव पर जिलाधिकारी के अनुपादनापन्न जिला शैक्षिक शिक्षा अधिकारी/सचिव, चयन समिति द्वारा नियुक्ति पत्र जारी विधि को निर्गत किये जायेंगे।
- कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में कार्यकों के चयन/नियुक्ति की कार्यवाही प्रत्येक दशा में 15 दिसम्बर, 2020 तक पूर्ण कर ली जाये। नवीन चयन 11 माह 29 दिन के लिए किया जायेगा।
- कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में नवीन चयन की कार्यवाही वर्ष 2020-21 में शैक्षिक एवं शिक्षणोत्तर स्टाफ के नवीन संविदा होने के पश्चात स्पष्ट रिक्त पदों पर की जायेगी।

(8) नवीन संविदा

- प्रत्येक शैक्षिक सत्र में कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों के समस्त वृद्ध मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार की प्रोजेक्ट अप्रूवल बैठक में दिये गये निर्देशों के अधीन होंगे।
- कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में शैक्षिक एवं शिक्षणोत्तर कर्मियों का सेवा अनुबन्ध 11 माह 29 दिन के लिए किया जायेगा।
- कार्यरत वार्डेन/शिक्षकों/शिक्षणोत्तर कर्मचारियों का व्यवहार संतोषजनक पाया जाता है तो आगामी सत्र हेतु जिलाधिकारी के अनुमोदनोपरान्त नवीन संविदा की जायेगी।
- कार्यरत वार्डेन, पूर्णकालिक शिक्षिका, अंशकालिक शिक्षक/शिक्षिका एवं उर्दू शिक्षक/शिक्षिका के कार्य व्यवहार एवं शैक्षिक प्रगति का वार्षिक मूल्यांकन सम्बन्धित विकास खण्ड के खण्ड शिक्षा अधिकारी, जिला समन्वयक बालिका शिक्षा द्वारा किया जायेगा।
- मुख्य रसोईया, सहायक रसोईया, चौकीदार एवं चपरासी के कार्य एवं व्यवहार का वार्षिक मूल्यांकन जिला समन्वयक बालिका शिक्षा एवं वार्डेन द्वारा किया जायेगा।
- लेखाकार के कार्य एवं व्यवहार का वार्षिक मूल्यांकन सम्बन्धित विकास खण्ड के खण्ड शिक्षा अधिकारी, सहायक वित्त एवं लेखाधिकारी एवं जिला समन्वयक बालिका शिक्षा द्वारा किया जायेगा।
- कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में चयनित शैक्षिक एवं शिक्षणोत्तर कर्मियों से प्रतिवर्ष नवीन संविदा हेतु अनुबन्ध पत्र भराया जायेगा। सेवा अनुबन्ध की कार्यवाही प्रतिवर्ष उक्त जनपदीय समिति के सदस्य सचिव द्वारा 15 फरवरी तक पूर्ण किया जायेगा।
- किसी कर्मी की सेवायें संतोषजनक नहीं पाये जाने की दशा में मूल्यांकन कर्ता अधिकारी द्वारा सम्बन्धित कर्मी को अपना पक्ष प्रस्तुत करने का पर्याप्त अवसर उपलब्ध कराने के उपरान्त प्राप्त उत्तर के आधार पर पत्रावली में उन परिस्थितियों का साक्ष्य सहित स्पष्ट आकलन किया जायेगा तथा जिलाधिकारी के समक्ष युक्ति युक्त प्रस्ताव प्रस्तुत किया जायेगा।
- सेवा अनुबन्ध में यह प्राविधान किया जाये कि यदि उसकी सेवाएं अनुपयुक्त पायी जाती हैं तो उन्हें एक माह का नोटिस देकर सेवाओं को समाप्त कर दिया जायेगा। गम्भीर परिस्थितियों/वित्तीय अनियमितता/गंभीर अनुशासनहीनता की स्थिति उत्पन्न

होती है तो जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा प्रस्तुत पुष्ट प्रमाणों के आधार पर जिलाधिकारी के अनुमोदनार्थ संविदा समाप्त करते हुए सम्बन्धित के विरुद्ध प्राथमिक सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी जाये।

3- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया उपरोक्तानुसार समस्त कार्यवाही समयबद्ध रूप से कराया जाना सुनिश्चित करें।

भवनीया,

(रेणुका कुमार)

अपर मुख्य सचिव ।

संख्या: 15.53(1)/68-5-2020 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- महानिदेशक, स्कूल शिक्षा, उ०प्र० लखनऊ।
- 2- राज्य परियोजना निदेशक, समग्र शिक्षा, उ०प्र० लखनऊ।
- 3- मुख्य विकास अधिकारी, समस्त जनपद, उत्तर प्रदेश।
- 4- शिक्षा निदेशक, बेसिक, उ०प्र० लखनऊ।
- 5- सचिव, बेसिक शिक्षा परिषद, उ०प्र० प्रयागराज।
- 6- मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक, बेसिक, समस्त मण्डल, उत्तर प्रदेश।
- 7- जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, समस्त जनपद (कानपुर नगर एवं औरैया को छोड़कर), उत्तर प्रदेश को इस निर्देश के साथ कि वर्ष 2020-21 में संविदा होने के पश्चात उपर्युक्त निर्देशों के क्रम में रिक्त पदों को एक माह के अन्दर पूर्ण कराने की व्यक्तिगत जिम्मेदारी स्वयं आपकी होगी।
- 8- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(मनीष कुमार वर्मा)

विशेष सचिव ।

48/2024

महत्वपूर्ण

प्रेषक,

अवधेश कुमार तिवारी,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष,
जिला शिक्षा परियोजना समिति,
समस्त जनपद, उत्तर प्रदेश।

बेसिक शिक्षा अनुभाग-5

लखनऊ, दिनांक #ApprovedDate

विषय: उच्चकृत कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों के रिक्त पदों पर कामिकों के चयन/पदस्थापन के सम्बन्ध में।

महोदय/महोदया,

उपर्युक्त विषयक आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि भारत सरकार द्वारा वर्ष 2025 तक समग्र शिक्षा के अन्तर्गत प्रदेश में संचालित समस्त कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों (कक्षा 6 से 8 तक) को उच्चकृत कर कक्षा 12 तक किये जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

2- सूच्य है कि उत्तर प्रदेश में संचालित किये जाने वाले उच्चकृत कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय दो प्रकार के हैं:-

1. कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय परिसर से 03 किमी की परिधि में यदि कोई राजकीय/सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालय संचालित नहीं है तथ कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय परिसर/परिसर से लगी हुई मानकानुसार भूमि उपलब्ध है तो उन कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय के कक्षा 9 से 12 तक की 100 बालिकाओं हेतु विज्ञान वर्ग की कक्षाएं एकेडमिक ब्लॉक में आवासीय सुविधा के साथ संचालित होने वाले उच्चकृत कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय।
2. कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय परिसर से 03 किमी परिधि में राजकीय/सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालय संचालित हैं तो उन कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय को कक्षा 9 से 12 तक की 100 बालिकाओं को केवल आवासीय सुविधा के साथ संचालित होने वाले कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय।
- 3- उच्चकृत कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों के एकेडमिक ब्लॉक हेतु शैक्षिक एवं शिक्षणेत्तर स्टाफ की आवश्यकता होगी। उच्चकृत कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों हेतु छात्रावास दो प्रकार के होंगे:-
 - पूर्व से संचालित के0जी0बी0वी0 (कक्षा 6 से 8) के परिसर में नये उच्चकृत छात्रावास, के संचालन हेतु 01 चपरासी, 01 चौकीदार, 01 रसोइया की आवश्यकता होगी।

8/2024

पूर्व से संचालित के0जी0बी0वी0 (कक्षा 6 से 8) के परिसर से दूर स्थित नये उच्चकृत छात्रावास, के संचालन हेतु 01 केयरटेकर, 01 चपरासी, 01 चौकीदार, 01 मुख्य रसोइया, 02 सहायक रसोइयों की आवश्यकता होगी।

4- कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में समस्त शैक्षिक एवं शिक्षणोत्तर कार्मिकों के चयन की कार्यवाही मुख्य विकास अधिकारी की अध्यक्षता में निम्नांकित जनपदीय समिति द्वारा सम्पादित की जायेगी:-

जनपदीय चयन समिति-

क्र0	समिति	धारित पद
1.	मुख्य विकास अधिकारी (सम्बन्धित जनपद)	अध्यक्ष
2.	प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (सम्बन्धित जनपद)	सदस्य
3.	जिला विद्यालय निरीक्षक (सम्बन्धित जनपद)	सदस्य
4.	जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी (सम्बन्धित जनपद)	सदस्य सचिव
5.	जिलाधिकारी/अध्यक्ष जिला शिक्षा एवं परियोजना समिति द्वारा नामित एक अधिकारी	सदस्य
6.	जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा नामित राजकीय बालिका इण्टर/राजकीय इण्टर कालेज/सहायता प्राप्त इण्टर कालेज के मनोविज्ञान की शिक्षक/शिक्षिका	सदस्य

उक्त समिति द्वारा की गयी चयन की कार्यवाही पर जिलाधिकारी/अध्यक्ष जिला शिक्षा एवं परियोजना समिति का अनुमोदन प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा।

5- उच्चकृत कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में शैक्षिक एवं शिक्षणोत्तर कार्मिकों का चयन संविदा के आधार पर 11 माह 29 दिन के लिए निम्नांकित पदों पर किया जायेगा:-

(1) पद एवं अर्हता (समस्त पद महिला अभ्यर्थी हेतु आरक्षित) -

क्र0सं0	पद	पदों की संख्या	शैक्षिक अर्हता	वरीयमान अर्हता
1	प्रधानाचार्या	01	(1) प्रशिक्षित एम0ए0 (हिन्दी/अंग्रेजी) अथवा एम0एससी0 भौतिक विज्ञान/रसायन विज्ञान/जन्तु विज्ञान/वनस्पति विज्ञान/गणित/कम्प्यूटर साइंस) किसी विश्वविद्यालय या संस्था या ऐसे विश्वविद्यालय या संस्था से सम्बद्ध किसी मान्यता प्राप्त संस्था की या अन्य राज्यों की परिषदों से सम्बद्ध किसी संस्था की या इसी प्रकार की संस्थाओं की, जिसकी परीक्षाएं परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त हैं, कक्षा 9 से 12 तक में कम से कम चार वर्ष का शिक्षण अनुभव हो या विभाग द्वारा मान्यता प्राप्त किसी जूनियर हाईस्कूल के प्रशिक्षण स्नातक प्रधानाध्यापक स्वरूप में कम से कम चार वर्ष का अनुभव हो, प्रतिबन्ध यह भी है कि वह 30 वर्ष से कम आयु की न हो। (2) किसी मान्यता प्राप्त संस्था में इण्टरमीडिएट कक्षाओं में दस वर्ष का शिक्षण अनुभव के साथ-साथ प्रथम या द्वितीय श्रेणी की स्नातकोत्तर उपाधि या पन्द्रह वर्ष के शिक्षण अनुभव के साथ तृतीय श्रेणी की स्नातकोत्तर उपाधि या (3) विज्ञान में प्रशिक्षित स्नातकोत्तर डिप्लोमाधारी; प्रतिबन्ध यह है कि उसने यह डिप्लोमा पाठ्यक्रम प्रथम या द्वितीय श्रेणी उत्तीर्ण किया हो और किसी मान्यता प्राप्त संस्था में ऐसा डिप्लोमा पाठ्यक्रम उत्तीर्ण करने के पश्चात क्रमशः 15 या 20 वर्ष की प्रशंसनीय सेवा की हो।	

148/2024

2	पी0जी0टी0 हिन्दी	01	हिन्दी में एम०ए० तथा संस्कृत के साथ बी०ए० अथवा शास्त्री परीक्षा राजकीय संस्कृत कालेज, वाराणसी अब सम्पूर्णानन्द विश्वविद्यालय, वाराणसी	प्रशिक्षित
3	पी0जी0टी0 अंग्रेजी	01	नियमानुसार स्थापित उत्तर प्रदेशीय अथवा किसी अन्य मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अंग्रेजी विषय में स्नातकोत्तर उपाधि (पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री) किसी ट्रेनिंग कालेज से एल०टी० डिप्लोमा या किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से एजुकेशन में डिग्री या डिप्लोमा रखने वाले को प्राथमिकता दी जायेगी।	प्रशिक्षित
4	पी0जी0टी0 गणित	01	1- एम०ए० अथवा एम०एस०सी० गणित अथवा 2- गणित में त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम सहित बी०ए० (आनर्स) अथवा बी०एस०सी० (आनर्स)	प्रशिक्षित
5	पी0जी0टी0 जीव विज्ञान	01	1- वनस्पति विज्ञान अथवा जन्तु विज्ञान में एम०एस०सी० अथवा 2- कृषि विषयक वनस्पति विज्ञान के साथ एम०एस०सी०, बी०एस०सी० में जन्तु विज्ञान अथवा 3- कृषि विषयक जन्तु विज्ञान के साथ एम०एस०सी०, बी०एस०सी० में वनस्पति विज्ञान अथवा 4- यू०जी०सी० द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/डिग्री कालेज से एम०एस०सी० (बाइफ साइंस) अथवा 5- किसी विश्वविद्यालय या डिग्री कालेज में शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा आयोजित जीव विज्ञान में स्नातकोत्तर डिप्लोमा के साथ बी०एस०सी०	प्रशिक्षित
6	पी0जी0टी0 रसायन विज्ञान	01	1- रसायन विज्ञान में एम०एस०सी० अथवा 2- रसायन विज्ञान में त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम के साथ बी०एस०सी० (आनर्स) अथवा 3- यू०जी०सी० द्वारा मान्यता प्राप्त किसी विश्वविद्यालय/डिग्री कालेज से स्नातकोत्तर (बायोकेमिस्ट्री) अथवा 4- किसी विश्वविद्यालय या डिग्री कालेज से शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा आयोजित रसायन विज्ञान में स्नातकोत्तर डिप्लोमा के साथ बी०एस०सी०	प्रशिक्षित
7	पी0जी0टी0 भौतिक विज्ञान	01	1-एम०एस०सी० (भौतिक शास्त्र) अथवा 2- किसी विश्वविद्यालय या डिग्री कालेज में शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा आयोजित भौतिक विज्ञान में स्नातकोत्तर डिप्लोमा के साथ बी०एस०सी०	प्रशिक्षित
8	कम्प्यूटर विज्ञान	01	1- एमटेक (कम्प्यूटर विज्ञान) अथवा	प्रशिक्षित

8/2024

			<p>2- बी०ई०/बी०टेक (कम्प्यूटर विज्ञान) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से</p> <p>अथवा</p> <p>3- एम०सी०ए० अथवा एम०एस०सी० (कम्प्यूटर विज्ञान) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अथवा "बी" लेवल आफ डी०ओ०ई०ए०सी०सी० (डिपार्टमेंट आफ इलेक्ट्रानिक्स एण्ड एकीडियेशन आफ कम्प्यूटर कोर्स)</p> <p>अथवा</p> <p>4- स्नातकोत्तर डिग्री के साथ पी०जी० डिप्लोमा इन कम्प्यूटर ऐप्लीकेशन विज्ञान किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से</p> <p>अथवा</p> <p>5- स्नातकोत्तर डिग्री के साथ बी०एससी० (कम्प्यूटर कोर्स कम्पोनेन्ट कनसेसटिंग ऑफ एट लिस्ट 1/3 ऑफ साइंस कोर्स किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से)</p> <p>अथवा</p> <p>स्नातकोत्तर डिग्री के साथ ए-लेवल ऑफ डी०ओ०ई०ए०सी०सी० (डिपार्टमेंट आफ इलेक्ट्रानिक्स एण्ड एकीडियेशन आफ कम्प्यूटर कोर्स)</p>
9	लैब असिस्टेंट	03	<p>हाईस्कूल विज्ञान वर्ग के साथ एवं लैबोरेटरी तकनीक में डिप्लोमा</p> <p>अथवा</p> <p>मान्यता प्राप्त बोर्ड से इण्टरमीडिएट-विज्ञान वर्ग के साथ</p>
10	कार्यालय अधीक्षक/लिपिक	01	<p>1- माध्यमिक शिक्षा परिषद, उ०प्र० द्वारा आयोजित इण्टरमीडिएट परीक्षा अथवा उसके समकक्ष कोई अन्य परीक्षा उत्तीर्ण हो।</p> <p>2- माध्यमिक शिक्षा परिषद, उ०प्र० के साथ-साथ केन्द्र अथवा किसी राज्य द्वारा स्थापित किसी संस्था / शिक्षा बोर्ड / परिषद द्वारा संचालित हाईस्कूल अथवा इण्टरमीडिएट परीक्षा में पृथक विषय के रूप में कम्प्यूटर साइंस विषय को लिया गया हो।</p> <p>अथवा</p> <p>कम्प्यूटर संचालन डोएक/NIELIT द्वारा प्रदत्त CCC प्रमाण-पत्र अथवा सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था से समकक्ष स्तर का प्रमाण-पत्र।</p> <p>अथवा</p> <p>कम्प्यूटर साइंस में डिप्लोमा/डिग्री</p> <p>3- कम्प्यूटर पर हिन्दी टंकण गति न्यूनतम 25 शब्द प्रति मिनट एवं कम्प्यूटर पर अंग्रेजी टंकण गति न्यूनतम 30 शब्द प्रति मिनट</p>
11	स्टोर कीपर	01	<p>इण्टरमीडिएट, एक वर्ष का कम्प्यूटर तथा टंकण गति हिन्दी 25 शब्द व अंग्रेजी 30 शब्द प्रति मिनट</p>

- पूर्व से संचालित के०जी०बी०वी० (कक्षा 6 से 8) के परिसर से दूर स्थित नये उच्चिकृत छात्रावास के संचालन हेतु-

1	कियरटेकर	01	कक्षा-12 उत्तीर्ण	<ul style="list-style-type: none"> • पद पूर्णकालिक होगा। • विद्यालय में रात्रि निवास अनिवार्य होगा। • अभ्यर्थी शारीरिक अक्षमता एवं संक्रामक रोग से ग्रस्त नहीं होना चाहिए।
2	चपरासी,	01	कक्षा-8 उत्तीर्ण	
3	चीकीदार	01	कक्षा-8 उत्तीर्ण	
4	रसोइया	03	कक्षा-8 उत्तीर्ण	

48/2024. पूर्व से संचालित के0जी0बी0वी0 (कक्षा 6 से 8) के परिसर में नये उच्चकृत छात्रावास के संचालन हेतु-

1	चपरासी	01	कक्षा-8 उत्तीर्ण	<ul style="list-style-type: none"> विद्यालय में रात्रि निवास अनिवार्य होगा। अभ्यर्थी शारीरिक अक्षमता एवं संक्रामक रोग से ग्रस्त नहीं होना चाहिए।
2	चौकीदार	01	कक्षा-8 उत्तीर्ण	
3	रसोइया	01	कक्षा-8 उत्तीर्ण	

नोट:- प्रधानाचार्या जिस विषय की अर्हता रखती होगी उस विषय की पृथक से शिक्षिका की नियुक्ति नहीं की जायेगी तथा सम्बन्धित विषय का शिक्षण कार्य प्रधानाचार्या द्वारा ही किया जायेगा।

(2) आयु-

- प्रधानाचार्या के लिए न्यूनतम आयु चयन वर्ष की 01 अप्रैल को न्यूनतम आयु 30 वर्ष एवं अधिकतम आयु 45 वर्ष होगी और कक्षा 9 से 12 तक में कम से कम 04 वर्ष का शिक्षण अनुभव हो।
- शेष पदों पर चयन वर्ष की 01 अप्रैल को न्यूनतम आयु 25 वर्ष एवं अधिकतम आयु 45 वर्ष होगी।
- कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में सेवा हेतु अधिकतम आयु 60 वर्ष होगी।

(3) आरक्षण- राज्य सरकार के निर्धारित प्राविधानों के अनुसार आरक्षण देय होगा।

(4) चरित्र- किसी सेवा से बर्खास्त, नैतिक/चारित्रिक अक्षमता के अपराध के लिए दोष सिद्ध एवं दिवालिया व्यक्ति चयन के लिए अर्ह नहीं होंगे।

(5) चयन प्रक्रिया-

- कम से कम दो समाचार पत्रों में पदों का विज्ञापन किया जायेगा, जिसमें एक समाचार पत्र राष्ट्रीय स्तर तथा एक समाचार पत्र प्रदेश/जनपद स्तर पर पर्याप्त प्रचलन में हो। आवेदन हेतु 15 दिन का समय प्रदान किया जायेगा। विज्ञापन को जनपद की वेबसाइट पर भी प्रदर्शित किया जायेगा। चयन का विज्ञापन जनपद के जिलाधिकारी, मुख्य विकास अधिकारी, उपजिलाधिकारी, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, जिला विद्यालय निरीक्षक, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, खण्ड विकास अधिकारी तथा खण्ड शिक्षा अधिकारी के कार्यालयों में चस्पा कराया जायेगा। साथ ही मण्डलीय अधिकारियों के कार्यालय (मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक, मण्डलीय उप शिक्षा निदेशक, मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक, बेसिक) में भी चस्पा कराया जायेगा।
- शिक्षिकाओं के चयन हेतु रिक्तियों का आगणन पदवार/विषयवार/वर्गवार जनपद स्तर पर किया जायेगा। तदनुसार आवेदन पत्र आमंत्रित किये जायेंगे। अभ्यर्थियों का चयन करने के लिए पदवार/विषयवार/वर्गवार पृथक-पृथक श्रेष्ठता सूची (मेरि लिस्ट) बनायी जायेगी।
- अभ्यर्थी के चयन के लिए भारांक के अंकों का निर्धारण निम्न प्रकार किया जायेगा-

क्र.सं.	परीक्षा/उपाधि का नाम	गुणवत्ता अंक
1	हाईस्कूल	परीक्षा में प्राप्तांक का प्रतिशत X10/100
2	इण्टरमीडिएट	परीक्षा में प्राप्तांक का प्रतिशत X10/100

3	स्नातक उपाधि	परीक्षा में प्राप्तांक का प्रतिशत X20/100
4	परास्नातक उपाधि	परीक्षा में प्राप्तांक का प्रतिशत X20/100
5	प्रशिक्षण	सैद्धान्तिक एवं प्रयोगात्मक परीक्षा में प्राप्तांक का प्रतिशत X30/100

नोट-

- यदि दो या अधिक अभ्यर्थियों के गुणवत्ता अंक समान हों तो ऐसे अभ्यर्थी का नाम, जो आयु में ज्येष्ठ हो, सूची में उच्चतर रखा जायेगा।
- यदि दो या अधिक अभ्यर्थियों के गुणवत्ता अंक और आयु समान हो तो अभ्यर्थी का नाम, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के अनुसार सूची में रखा जायेगा।
- रसोईया, सहायक रसोईया, चपरासी एवं चौकीदार के पद पर चयन साक्षात्कार के आधार पर किया जाएगा।

(6) सत्यापन-

शिक्षक/शिक्षणेत्तर स्टाफ के चयन के समय प्रस्तुत प्रमाण पत्रों का सत्यापन सम्बन्धित बोर्ड/संस्था से कराया जायेगा। कार्मिकों के मूल शैक्षिक अभिलेखों को जिला परियोजना कार्यालय में सुरक्षित/संरक्षित कराया जायेगा। अभिलेखों के सत्यापनोपरान्त ही मानदेय का भुगतान किया जायेगा।

(7) चयन के समय निम्नांकित नियमों का अनुपालन किया जायेगा-

1. चयन प्रक्रिया में काउन्सलिंग समिति में एक मनोवैज्ञानिक को विशेषज्ञ के रूप में सम्मिलित किया जायेगा ताकि अभ्यर्थियों की मनोदशा एवं दृष्टिकोण की परख भी की जा सके।
2. उक्त समिति द्वारा कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में चयनित अभ्यर्थियों की पदवार/विषयवार पृथक-पृथक श्रेष्ठता सूची तैयार की जायेगी। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में विषयवार रिक्त पदों की सूची नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित की जायेगी, जिसके सापेक्ष समस्त चयनित अभ्यर्थियों को पदस्थापन हेतु विकल्प चयन का अवसर प्रदान किया जायेगा।
3. चयन समिति द्वारा प्रत्येक रिक्त पद के सापेक्ष अभ्यर्थियों की प्रतीक्षा सूची तैयार की जायेगी, जिसे आवश्यकतानुसार प्रयोग किया जा सके। उक्त प्रतीक्षा सूची जिलाधिकारी द्वारा अनुमोदन प्रदान करने की तिथि से एक वर्ष तक मान्य होगी।
4. चयनित अभ्यर्थियों की सूची (प्रतीक्षा सूची सहित) का जिलाधिकारी से अनुमोदन प्राप्त किया जायेगा। तत्पश्चात पद रिक्त होने की स्थिति में प्रतीक्षा सूची से जिलाधिकारी से अनुमोदन प्राप्त कर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी/सदस्य सचिव द्वारा विद्यालयों में शिक्षिकाओं का पदस्थापन किया जायेगा। चयनित अभ्यर्थियों की सूची तथा प्रतीक्षा सूची को जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा किया जायेगा।
5. सर्वप्रथम दिव्यांग महिला अभ्यर्थियों को उनके श्रेष्ठता क्रम के अनुसार काउन्सलिंग कराने हेतु चयन समिति के सम्मुख विद्यालय चयन का विकल्प प्राप्त करने का अवसर प्रदान किया जायेगा। चयन समिति द्वारा अभ्यर्थियों के सम्मुख नोटिस बोर्ड पर चस्पा विद्यालय की सूची के समरूप सूची रखी जायेगी। उक्त सूची में से अभ्यर्थी एक रिक्त विद्यालय के सम्मुख अपना नाम विषय एवं हस्ताक्षर अंकित करेगा। उक्त प्रक्रिया प्रत्येक चयनित अभ्यर्थी द्वारा पूर्ण की जायेगी।

48/2024

6. उक्त प्रक्रिया से काउन्सिलिंग के माध्यम से प्रत्येक चयनित अभ्यर्थी से विकल्प प्राप्त किये जायेंगे। मेरिट के आधार पर विकल्प सूची से विद्यालय आवंटित किये जायेंगे। चयनित अभ्यर्थी द्वारा विद्यालय का विकल्प नहीं देने की स्थिति में समिति द्वारा उपलब्ध विद्यालय में अभ्यर्थी के पदस्थापन की कार्यवाही की जायेगी।
7. जनपदीय समिति के प्रस्ताव पर जिलाधिकारी के अनुमोदनोपरान्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी/सचिव, चयन समिति द्वारा नियुक्ति पत्र उसी तिथि को निर्गत किये जायेंगे।
8. कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में रिक्त पदों के सापेक्ष शैक्षिक एवं शिक्षणेत्तर पदों पर चयन की कार्यवाही प्रतिवर्ष 28 फरवरी तक पूर्ण कर ली जाये।

(8) नवीन संविदा-

- प्रत्येक शैक्षिक सत्र में कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों के समस्त पद भारत सरकार की प्रोजेक्ट अप्रूवल बोर्ड की बैठक में दिये गये निर्देशों के अधीन होंगे।
- शैक्षिक सत्र में कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में शैक्षिक एवं शिक्षणेत्तर कर्मियों का सेवा अनुबन्ध 11 माह 29 दिन के लिए किया जायेगा।
- कार्यरत शिक्षिकाओं का व्यवहार संतोषजनक पाये जाने पर आगामी सत्र हेतु जिलाधिकारी के अनुमोदनोपरान्त नवीन संविदा अनुबन्ध 11 माह 29 दिन के लिए किया जायेगा, तात्पर्य यह है कि प्रत्येक वर्ष एक नवीन सेवा अनुबन्ध किया जायेगा।
- शिक्षिकाओं के कार्य एवं व्यवहार का वार्षिक मूल्यांकन सम्बंधित खण्ड शिक्षा अधिकारी द्वारा किया जायेगा।
- प्रतिवर्ष शिक्षिकाओं से नवीन संविदा हेतु अनुबन्ध पत्र भराया जायेगा। सेवा अनुबन्ध की कार्यवाही प्रतिवर्ष उक्त जनपदीय समिति के सदस्य-सचिव द्वारा 15 फरवरी तक पूर्ण कर ली जायेगी।
- किसी शिक्षिका की सेवाएं संतोषजनक नहीं पाये जाने की दशा में मूल्यांकनकर्ता अधिकारी (खण्ड शिक्षा अधिकारी/जिला समन्वयक (बालिका शिक्षा)/जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी) द्वारा सम्बन्धित शिक्षिका को अपना पक्ष प्रस्तुत करने का पर्याप्त अवसर उपलब्ध कराने के उपरान्त प्राप्त उत्तर के आधार पर पत्रावली में उन परिस्थितियों का साक्ष्य सहित स्पष्ट आकलन किया जायेगा तथा जिलाधिकारी के समक्ष युक्ति युक्त प्रस्ताव प्रस्तुत किया जायेगा।
- सेवा अनुबन्ध में यह प्राविधान किया जायेगा कि यदि उसकी सेवाएं अनुपयुक्त पायी जाती हैं तो उन्हें एक माह का नोटिस देकर सेवा/संविदा को समाप्त कर दिया जायेगा। गम्भीर परिस्थितियों/वित्तीय अनियमितता/गंभीर अनुशासनहीनता की स्थिति में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा प्रस्तुत पुष्ट प्रमाणों के आधार पर जिलाधिकारी के अनुमोदनोपरान्त संविदा समाप्त करते हुये सम्बन्धित के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी जायेगी।

6- अतः इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया उपर्युक्तानुसार उच्चकृत कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में शैक्षिक व शिक्षणेत्तर कर्मियों के नवीन चयन/पदस्थापन/संविदा अनुबन्ध की कार्यवाही पूर्ण कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

Digitally Signed by अवधेश

कुमार तिवारी

(अवधेश कुमार तिवारी)

Date: 28-05-2024 14:55:50

Reason: Approved

2024

संख्या एवं दिनांक तदैवा

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महानिदेशक, स्कूल शिक्षा, उ०प्र०, लखनऊ।
2. राज्य परियोजना निदेशक, समग्र शिक्षा, उ०प्र०, लखनऊ।
3. मुख्य विकास अधिकारी, समस्त जनपद, उत्तर प्रदेश।
4. शिक्षा निदेशक (बेसिक), उ०प्र०, लखनऊ।
5. सचिव, बेसिक शिक्षा परिषद, उ०प्र०, प्रयागराज।
6. मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक), समस्त मण्डल, उत्तर प्रदेश।
7. जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, समस्त जनपद, (कानपुर नगर एवं औरैया को छोड़कर) उत्तर प्रदेश को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि तत्काल चयन/पदस्थापन की कार्यवाही पूर्ण कराते हुए कृत कार्यवाही से राज्य परियोजना निदेशक, समग्र शिक्षा को अवगत करायें।

आज्ञा से,

ह०/-

(सोमनाथ)

उप सचिव।

RojgarResult.com

संशोधन

प्रेषक,

आनन्द कुमार सिंह,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष,
जिला शिक्षा परियोजना समिति,
समस्त जनपद, उत्तर प्रदेश।

बेसिक शिक्षा अनुभाग-5 लखनऊ, दिनांक Approved Date#
विषय: उच्चकृत कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों के रिक्त पदों पर कार्मिकों के
चयन/पदस्थापन के सम्बन्ध में।
महोदय/महोदया,

कृपया उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-1/570148/2024 File
No. 68-5099/23/2024-5() दिनांक 28.05.2024 का संदर्भ ग्रहण करने का
कष्ट करें। उक्त शासनादेश के पृष्ठ संख्या-04 पर बिन्दु "पूर्व से संचालित
के0जी0बी0वी0 (कक्षा 6 से 8) के परिसर से दूर स्थित नये उच्चकृत छात्रावास के
संचालन हेतु" के अन्तर्गत दी गयी तालिका में केयरटेकर की शैक्षिक अर्हता कक्षा-12
उत्तीर्ण निर्धारित की गयी है।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उपर्युक्त संदर्भित
शासनादेश संख्या-1/570148/2024 File No. 68-5099/23/2024-5() दिनांक
28.05.2024 में आंशिक संशोधन करते हुए एतद्वारा केयरटेकर की शैक्षिक योग्यता
कक्षा-12 के स्थान पर परास्नातक एवं बी0एड0 निर्धारित की जाती है। उक्त
शासनादेश दिनांक 28.05.2024 इस सीमा तक संशोधित समझा एवं पढ़ा जाय।

कृपया तदनुसार अग्रेतर कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

Signed by

Anand Kumar Singh

Date: 21-10-2024 16:29:31

(आनन्द कुमार सिंह)

उप सचिव,

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महानिदेशक, स्कूल शिक्षा, 30प्र0, लखनऊ।
2. राज्य परियोजना निदेशक, समग्र शिक्षा, 30प्र0, लखनऊ।
3. मुख्य विकास अधिकारी, समस्त जनपद, उत्तर प्रदेश।
4. निदेशक बेसिक शिक्षा, 30प्र0, लखनऊ।
5. सचिव, बेसिक शिक्षा परिषद, 30प्र0, प्रयागराज।
6. मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक), समस्त मण्डल, उत्तर प्रदेश।
7. जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, समस्त जनपद, (कानपुर नगर एवं औरैया को छोड़कर) उत्तर प्रदेश को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि तत्काल चयन/पदस्थापन की कार्यवाही पूर्ण कराते हुए कृत कार्यवाही से राज्य परियोजना निदेशक, समग्र शिक्षा को अवगत करायें।

आज्ञा से,

ह0/-

(आनन्द कुमार सिंह)

उप सचिव।

RojgarResult.com